



Neutral Citation No. - 2026:AHC:179876

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 482 बीएनएसएस के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या

- 8315 वर्ष 2026

रिमझिम त्रिपाठी

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : सुनील कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, सैयद मोहम्मद अब्बास अब्दी

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल

1. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद मोहम्मद अब्बास अब्दी, सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका आवेदिका की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 377 सन् 2025, धारा 61(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 308(3), 352 एवं 351(3) बी.एन.एस.,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



थाना बाबूपुरवा, जनपद कानपुर में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदिका को उपर्युक्त मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3. आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदिका एक महिला है। आवेदिका की भूमिका उस विक्रय विलेख में सीमांत साक्षी होने की बताई गई है, जिसे उसके पिता द्वारा निष्पादित किया गया बताया गया है। उक्त विक्रय विलेख कपटपूर्ण बताया गया है, जिसमें विक्रेता को संपूर्ण संपत्ति का स्वामी दर्शाया गया है, जबकि विक्रेता संपत्ति के केवल एक भाग का स्वामी था। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि आवेदिका विक्रय विलेख की प्रत्यक्ष लाभार्थी नहीं है। विक्रय प्रतिफल से संबंधित कोई धनराशि आवेदिका को प्राप्त नहीं हुई है। इसी स्थिति वाले सह-अभियुक्त अंकित शर्मा, जो उक्त विक्रय विलेख में सीमांत साक्षी भी हैं, को इस न्यायालय द्वारा **आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 बीएनएसएस के तहत - संख्या 7620 / 2026** में अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदिका का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।

4. सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदिका मुख्य अभियुक्त अरुण कुमार अवस्थी की उत्तराधिकारी है, जिनका अब निधन हो चुका है। मुख्य अभियुक्त की पुत्री होने के नाते आवेदिका को प्रश्नगत संपत्ति के स्वामित्व के संबंध में पूर्ण जानकारी थी। उसका मामला सह-अभियुक्त अंकित शर्मा से भिन्न स्थिति में है। तथापि, विद्वान अधिवक्ता आवेदिका का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं बता सके।

5. विद्वान ए.जी.ए. ने भी सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को अपनाया है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर लाई गई सामग्री का परिशीलन किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



7. बताया गया है कि आवेदिका उस विवादित विक्रय विलेख की सीमांत साक्षी है, जिसे अरुण कुमार अवस्थी द्वारा अन्य सह-अभियुक्तों के पक्ष में निष्पादित किया गया था। विक्रय प्रतिफल का कोई भाग आवेदिका द्वारा प्राप्त किए जाने का कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। आवेदिका एक महिला है और सह-अभियुक्त अंकित शर्मा, जिसे भी विवादित विक्रय विलेख में सीमांत साक्षी दर्शाया गया है, को इस न्यायालय द्वारा पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। आवेदिका का मामला सह-अभियुक्त अजय प्रकाश अग्निहोत्री, शैलेन्द्र कुमार शर्मा एवं सुरेन्द्र शर्मा से भिन्न स्थिति में है।

8. मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदिका को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूँ।

9. उपर्युक्त के दृष्टिगत, आवेदिका की अग्रिम जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

10. आवेदिका **रिमझिम त्रिपाठी** की गिरफ्तारी होने की स्थिति में, उसे उपर्युक्त मुकदमा अपराध में तत्काल अग्रिम जमानत पर इस शर्त पर रिहा किया जाएगा कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी/संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि का जमानतदार प्रस्तुत करे और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

(i) आवेदिका जब भी आवश्यक हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगी;



(ii) आवेदिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को ऐसा कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगी, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो;

(iii) आवेदिका न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगी;

(iv) आवेदिका अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगी/उसे धमकाएगी नहीं।

11. उपर्युक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत याचिका के निर्णय के प्रयोजन तक सीमित हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ल)

25 अगस्त, 2026

सचिन